

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

(1) संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का ब्यौरा :- यह एक राज्य सरकारी विभाग है। यह उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का हिस्सा नहीं है और जिनका महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालयों, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा पांच प्रमुख विपणन समितियों में अंकेक्षण का कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है। महालेखाकार द्वारा साधारणतयः इन संस्थाओं का अंकेक्षण नहीं किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी है:-

क्रम संख्या	संस्थाओं / निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड
6	विपणन समितियां
7{ए}	राजकीय शिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
10	नगर निगम शिमला
11	नगर परिषदें / नगर पंचायतें
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान एवं औ0 प्रशिक्षण संस्थान
13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड
14	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी
17	हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद
18	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी
19	मुख्यमन्त्री राहत कोष / जिला राहत कोष
20	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष
21	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन
22	मेला एवं उत्सव
23	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद
24	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड
25	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झण्डा रोहण दिवस निधि
26	राज्य सैनिक बोर्ड विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि

27	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि, जिला खेल, संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि
28	ई-गवर्नेन्स
29	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला
30	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली
31	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला

नोट:- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट- (अ) में दिया गया है।

(2). अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :- विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

निदेशक एवं परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा :- विशेष सचिव(वित्त) निदेशक एवं परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग हि0प्र0 के पद का कार्यभार संभालते हैं।

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :-

अतिरिक्त निदेशक :- वह कार्यालय का मुखिया होने के साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी है।

उप निदेशक-1 :- वह तकनीकी शाखा के प्रभारी हैं। वह हिमुडा के अंकेक्षण कार्य तथा तीनो विश्वविद्यालयों व हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, शहरी निकायों एवं जिला शिमला, सोलन और सिरमौर के शैक्षणिक संस्थानों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उत्तरदायी है।

उप निदेशक-2 :- वह विपणन बोर्ड शिमला, सभी विपणन समितियों, मन्दिर न्यासों, ई-गवर्नेन्स, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला एवं जिला चम्बा, ऊना, और कांगड़ा तथा अन्य प्रमुख विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उत्तरदायी है।

सहायक निदेशक :- वह विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं एवं संस्थापना व लेखा शाखा के प्रभारी है। वह सरकारी पाठशाला/महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/बहुतकनीकी संस्थानों एवं जिला कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पति, कांगड़ा जिले के देहरा वृत व किन्नौर तथा अन्य लघु विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आबंटित अन्य कार्य के लिए उत्तरदायी है।

अनुभाग अधिकारी (स्थापना) :- वह प्रशासनिक तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते हैं।

अनुभाग अधिकारी(तकनीकी शाखा) :- वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखते हैं।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते हैं।

लिपिक :- प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते हैं।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :- संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समितियों में निवासी अंकेक्षण

योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा वहां तैनात अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्यों का निपटारा करते हैं।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं का पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य करते हैं।

वृत्तों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उत्तरांकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृत्तों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/ अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक भी विभाग द्वारा हिमुडा और अन्य बड़ी संस्थाओं के विशेष अंकेक्षण दलों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण करते हैं।

(3) निर्णय एवं उत्तरदायित्व माध्यम सहित :-

विभाग में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक(कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक जो अनुभाग अधिकारी, सहायक निदेशक जो भी स्थिति हो, समक्ष सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत करते हैं और मामलों का अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या प्रधान सचिव(वित्त) हि0प्र0 सरकार के स्तर पर अन्तिम निपटारा किया जाता है। निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण की कार्यवाही करके कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक जैसी भी स्थिति हो, में जांच एवं अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। मामले की प्रकृति के अनुसार वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दलों को मौके पर ही मामलों का निपटारा करना होता है जबकि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभागीय मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते हैं।

(4) कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :- विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए तैयार मानक अंकेक्षण स्टाफ को जारी किए जाते हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखित मानक तय किए गए हैं:-

1. अंकेक्षण कार्य हेतु समय आबंटन
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए अंकेक्षण कार्य की सीमा तय करना।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए माप दण्ड।
5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण का कार्य उनके एक्ट/नियम पुस्तक/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं जो सरकार द्वारा/संस्थाओं को समय समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

(5) विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिशानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख :- विभाग के नियम, दिशा निर्देशों जो दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, का पालन करता है।

(6) विभाग के नियन्त्रण में दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण :-

- (1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी अभिलेख.
- (2) विभाग के कार्य क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन।
- (3) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।
- (4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की वसूली से सम्बन्धित मांग एवं वसूली अभिलेख।

(7) किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रशासन की रचना के विद्यमान हो।

विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए विशेष अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रखता है।

(8) बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्श एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण :-

सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, काउंसिल समिति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गई है।

(9) अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका:- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग से निर्देशिका परिशिष्ट-ब में संलग्न है।

(10). विभाग के प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेय:-

हि0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए हैं। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नहीं किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदों के पे बैंड तथा ग्रेड पे से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-स में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टिकल सहायकों को वृत्तों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ₹650/- प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11) विभाग की विभिन्न एजेंसी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदन।

विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता है। विभाग के नियन्त्रक/अधीन कोई भी एजेंसी कार्यशील नहीं है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

(12) पावती में छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरण:- इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान नहीं किया जाता है।

(13) अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के, निर्धारित तरीके से निष्पादन:- सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14) सूचना जिसका विस्तृत विवरण मौजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रॉनिक फार्म में तबदील करके कम करना :- वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे-2- अभिलेख को इलैक्ट्रॉनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई हो.

सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है ।

(16). स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 में अपील प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण

मुख्यालय कार्यालय :-

क्र0सं0	जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी, पीआईओ/एपीआईओ	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं0
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अपील प्राधिकारी	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177-2620757
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620046
3	श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक, सहायक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620881

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क्र0सं0	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0
1	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक (ले0प0)	01894-230354
2	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक (ले0प0)	01892-229333
3	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक (ले0प0)	0177-2830892
4	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0 एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक (ले0प0)	01792-252171
5	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला-2	सहायक नियन्त्रक(ले0प0)	0177-2621316
6	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला-12.	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	0177-2841167
7	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01792-230459
8	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01907-265592
9.	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01902-222208

महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं०

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	कार्यालय दूरभाष सं०	आवास दूरभाष सं०
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग अपील प्राधिकारी	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177-2620757	9418381433
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	—यथोपरि	0177-2620046	9418083689

(17) दूसरी अन्य सूचनाएँ जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं। “शून्य”

विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ :-

1. अंकेक्षण की स्थिति :

प्रतिवेदन अवधि के दौरान विभाग द्वारा कुल 264 संस्थाओं का अंकेक्षण किया गया है।

2. स्टाफ स्थिति :

दिनांक 31.03.2016 को विभाग में सृजित कुल 134 पदों के विरुद्ध 104 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 30 पद रिक्त थे।

3. आर्टिकल सहायकों की एम्प्लॉयमेंट :

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्प्लॉयमेंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की नियत कार्य (assignment) के आधार पर तैनाती की गई है।

4. आय व्यय की स्थिति :

प्रतिवेदन अवधि में विभाग की आय-व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :

वर्ष	विभाग की बजट/व्यय राशि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजस्व प्राप्ति	व्यय के विरुद्ध अर्जित आय का प्रतिशत
2015-16	55210309	22330081	40.44

5. वर्ष 2015-16 में पाई गई गम्भीर अनियमितताएँ :-

1. नगर निगम शिमला, अवधि 4/11 से 3/13

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का सार	₹ लाखों में
{5बी व सी}	विविध देनदारों व दायित्वों को तुलन पत्र में न दर्शाया जाना।	27.87
6{सी}	सवधि जमा योजना पर ब्याज की हानि	3.61
8	दिनांक 31.3.13 तक अग्रिमों का समायोजन न करना।	2174.43
9	दिनांक 31.3.13 तक विभिन्न करदाताओं से करों की वसूली न करना।	2089.41

11[ए]	लीज धारकों से दुकानों/स्टालों के किराए की बकाया राशि पर ब्याज को कम दर्शाने बारे।	21.90
11[बी]	दुकानों के किराए में गत वर्षों के अन्तशेष को अग्रेषित न करना	51.89
11[सी]	सेवा शुल्क व ब्याज की कम वसूली बारे	9.26
11[डी]	सम्पत्ति कर को कम/न दर्शाने बारे	73.11
11[ई]	अनाद्रित चैकों की वसूली न करने बारे	27.22
11[एफ]	मोबाईल टावरों की स्थापना व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क को कम लेंखांकित करने बारे।	2.55
12[1][बी]	विभिन्न वर्गों के स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों पर अनियमित भुगतान।	7.96
12[1][डी,ई,ए,फ,आई,जे,के]	अवकाश वेतन, वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान	12.55
12[2][ए]	संविदाकार को अधिक भुगतान	2.30
12[3][ए]	सेवाकर व उस पर ब्याज का अनियमित भुगतान।	3.12
12[3][डी]	मोबाईल फोन बिलों को अनियमित पुनर्भुगतान	0.85
12[3][एफ]	Standing Council को रिटेनरशिप फीस का अनियमित भुगतान	12.02
12[3][1]	सैहब सोसाईटी शिमला को अनियमित भुगतान	43.31
12[4]	डीजल व पेट्रोल की अधिक खपत व निजी यात्रा की कम वसूली	6.30
13[ए]	पैन्शन लाभों का अधिक भुगतान	1.25
14	आवारा कुत्तों के लिए आवास हेतु व्यर्थ व्यय	63.99
15	कार पार्किंग के निर्माण पर व्यर्थ व्यय	13.68

2. नगर परिषद बिलासपुर, अवधि 4/2013 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का सार	₹ लाखों में
5.1	दिनांक 31.3.15 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	371.82
7	स्थापना पर अनाधिकृत व्यय	151.43
6	दिनांक 31.3.15 तक के किराये व ब्याज की वसूली शेष	73.76
6.1	किराया/ब्याज की वसूली व दुकानों को खाली करने हेतु कोर्ट में लम्बित मामले	59.86
10	तेरहवें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान ड्रेनेज कम्पोनेट (Drainage) की स्वीकृत राशि में से अधिक/अनाधिकृत व्यय	55.08
5.2	निर्माण कार्यों को प्रारम्भ न करने के कारण अनुदान का अवरोधन	8.89
18	मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण फीस की वसूली न करने बारे	4.15
6.4	विश्राम गृह, रहन बसेरा व अन्य भवनों के किराये की वसूली न करना	2.47
6.3	परिषद क्षेत्र में तहबाजारी को ठेके पर देने के फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में तहबाजारी शुल्क की राशि की कम प्राप्ति	1.99
9	पैन्शन का अधिक भुगतान करना	0.98

3. नगर परिषद चम्बा, अवधि 04/2013 से 03/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
9	दिनांक 31.3.15 तक गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	66.04
5.3	13वें वित्तायोग से कार पार्किंग के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग बारे	60.90
10.1	नगर परिषद (जन्जघर) के किराये एवं दण्ड शुल्क की वसूली शेष	57.96
10	दिनांक 31.3.15 तक भवनों, दुकानों के किराये की वसूली न करना	46.43

9.2	नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किराये दरों के अनुसार न करने के फलस्वरूप हानि	41.71
10.4	पार्किंग स्थलों की नीलामी की बकाया राशि की वसूली न करना	11.25
10.2	नगर परिषद के विश्राम गृह की नीलामी की बकाया राशि की वसूली न करना	6.99
18	संविदाकार को अनुचित भुगतान	5.95
9.1	भवनों के गृहकर की गणना नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप राशि की हानि	5.60
7	दिनांक 31.3.15 तक विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों के लिए प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण राशि की वसूली शेष	2.83
13	संविदाकार को अधिक भुगतान करना	1.11
10.3	रैहन बसेरा की नीलामी की बकाया राशि की वसूली न करना	0.71
11	संविदाकार श्री शिवांक शर्मा को राशि का अनियमित/अनुचित भुगतान करना	0.63
23	स्थापना पर अनियमित/अधिक व्यय	158.23

4. नगर परिषद डलहौजी, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रुलाखों में
पैरा 5(क)	राशि को बैंक द्वारा नगर परिषद खाते में जमा न करने बारे।	2.14
पैरा 6.2	अनुदान राशि का सम्भावित दुरुपयोग	316.93
पैरा 6.3	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली न किया जाना	2.50
पैरा 6.4	अनुदान राशि का अनियमित व्यय	39.90
पैरा 9	मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न करने बारे।	2.70
पैरा 10	गृह कर की वसूली न करना	66.81
पैरा 10.1	भवनों का गृह कर निर्धारण नियमानुसार न करने के कारण राशि की हानि	3.62
पैरा 10.2	नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमानुसार न करने के परिणामस्वरूप राशि की हानि	223.78
पैरा 10.3	संशोधित गृहकर की मांग न करने के परिणामस्वरूप आय की हानि	16.10
पैरा 11	दुकानों के किराये की वसूली न करने बारे	64.69
पैरा 11.1	अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराये का संशोधन न करने के परिणामस्वरूप राशि की हानि	1.42
पैरा 12	दिनांक 31.3.14 तक जलकर वसूली हेतु शेष	20.01
पैरा 13	सफाई कर की वसूली शेष	23.03
पैरा 14	पट्टा राशि वसूल न करने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष हानि	115.70
पैरा 15.1	मानदेय राशि का अधिक भुगतान	1.22
पैरा 16	कम्यूनिटी हॉल के निर्माण कार्य में अनियमित व्यय	1.55
पैरा 18	विभागीय शुल्क वसूल न करने बारे	0.17
पैरा 23	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना विचलन राशि का भुगतान	5.73
पैरा 25	फर्नीचर क्रय पर अनावश्यक व्यय करना	3.26
पैरा 26.1	डम्पर प्लेसर की खरीद के कारण निष्फल व्यय	5.82

5. नगर परिषद देहरा, अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रूलाखों में
5	दिनांक 31.3.15 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	104.15
5.2	अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित उपायोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	158.82
6	दिनांक 31.3.15 को गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	11.81
6.1	सरकार द्वारा निर्धारित दरों व राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृह कर की दरों को अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	1.90
7	दिनांक 31.3.15 तक दुकानों के किराये की राशि वसूली हेतु शेष	20.61
8	दिनांक 31.3.15 तक व्यवसायिक कर की राशि वसूली हेतु शेष	1.82
9	बस अड़डा किराया ठेका वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में गत वर्षों की अपेक्षा कम दरों पर देने के कारण नगर परिषद को वित्तीय हानि	3.60
10	वेतन एवं भत्तों की राशि का अनियमित एवं अनुचित भुगतान	0.56
11	आयकर की धारा 194(सी) के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती न करना	0.19
12	अरोग्य मैडिकल स्टोर के दुकानदार श्री सुरेन्द्र मोहन सूद से किराए के रूप में वसूली न करना	8.48
13	निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की कम कटौती	0.41
14	निर्माण कार्य बिलों से श्रमकर की कटौती न करना	0.41
18	श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ गलत तरीके से लगाना व मूल वेतन का गलत निर्धारण उपरान्त वेतन एवं भत्तों के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान	0.19
19	श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	0.06
23	दुकानों के किराये में वृद्धि न करने के कारण कम वसूली	0.09
24	स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय करना	27.84
25	ब्याज की हानि	0.14
27	दिनांक 31.3.15 को अग्रिम राशियां समायोजन हेतु शेष	4.25
28	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामान को क्रय करने बारे	0.83
33	स्ट्रीट लाईट के बिलों की दिनांक 31.3.15 तक भुगतान योग्य राशि	21.46

6. नगर परिषद धर्मशाला, अवधि 4/2012 से 3/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रूलाखों में
5.1.1	परिषद की रोकड़ बही तथा बैंक खातों में विगत वर्षों से सम्बन्धित राशि का समाधान न करना	11.59
7	दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर की राशि वसूली योग्य शेष	66.64
7.1	गृहकर में अनियमित रूप से छूट देने के परिणामस्वरूप नगर परिषद को हानि	1.09
7.2	गृहकर की बकाया राशि को आगामी वर्षों में अग्रेषित न करना	1.38
7.3	विद्युत विभाग से दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	5.68
8	मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस व संस्थाना फीस (Installation Fee) की राशि वसूली हेतु शेष	4.78
9	दिनांक 31.3.2014 तक दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष	16.97

10	सामान्य भविष्य निधि खाता धारकों के खाते में शेष जमा राशि व बैंक में जमा शेष में अन्तर	14.67
11	स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय	234.68
11.1	कार्य प्रगति दर्शाए बिना बेलदारों, मिस्त्रियों व कार्य निरीक्षकों के वेतन व भत्तों की राशि का अनियमित भुगतान करना	471.12
12	गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	2.21
18	किराये एवं दण्ड की राशि की वसूली न करना	54.14
19	सामुदायिक भवन के समीप पार्किंग के निर्माण कार्य पर ठेकेदार को अधिक भुगतान	1.56
22	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संविदाकार को राशि का भुगतान करना	5.64
24	कार्य को समय पर पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार से दण्ड स्वरूप राशि की वसूली न करना	1.89
25	परिषद कार्यालय के समीप निर्मित पार्किंग पर निष्फल व्यय	19.06
26.1	ठेकेदार को दिया गया अनुचित लाभ	0.34
27	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राशि का अनियमित व्यय	0.90
30	विभागीय शुल्क की वसूली न करने बारे	0.50
31	कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार कार्यों को समय पर पूर्ण न करने के कारण संविदाकारों से देय दण्ड राशि की वसूली न करना	1.09
38	नगर परिषद निधि से दिनांक 1.1.2007 से 31.3.2014 तक हैल्यर व तकनीशियन के वेतन की राशि का अनियमित भुगतान	9.82

7. नगर परिषद कांगड़ा, अवधि 04/2013 से 03/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रूलाखों में
5 (क)	बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ब्याज राशि का कम क्रेडिट करना	0.15
8 (क)	दिनांक 31.3.15 को अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	188.82
8 (ख)	अवधि 3/13 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशि का व्यय न करने बारे	32.44
9	गृहकर, दुकानों के किराये, कूड़ा संयंत्र व मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि की वसूली न करना	53.24
11	चालू वित्तीय वर्ष के देय गृह कर की राशि का देय तिथि तक भुगतान न करने के कारण सरचार्ज की राशि का आंकलन न करने से वित्तीय हानि बारे	3.36
16	स्थापना पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करने के कारण राशि का अनियमित भुगतान	82.90
17	श्री तिलक राज, (बेलदार) को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण अनियमित व्यय	0.40
27	विद्युत विभाग कांगड़ा को राशि का अधिक भुगतान करना	0.11
29	निर्माण कार्य बिलों से जलप्रभार की कटौती न करने के कारण राजस्व की हानि	0.96
30	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दण्ड शुल्क की वसूली न करना	7.08
31	निर्माण कार्यों बिलों से श्रमकर की कटौती न करना	0.64
35	पार्किंग के निर्माण पर अनुपयोगी व्यय बारे	37.59
38	अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पैन्शन व उपदान निधि का अनियमित भुगतान	5.18

8. नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू अवधि 4/2012 से 3/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रूलाखों में
6 (क)	दिनांक 31.3.2014 के अनुदानों की अनुपयुक्त राशि शेष	538.70
6 (ख)	अनुदान राशियों का वेतन व भत्तों पर अनियमित व्यय	183.91
7	दिनांक 31.3.14 को गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	14.39
8	दुकानों के किराये की दिनांक 31.3.14 को वसूली योग्य राशि शेष	20.27
9	मोबाईल टावरों की दिनांक 31.3.14 को वसूली शेष	3.32
10	दिनांक 31.3.14 को महिला छात्रावास, बूथ इत्यादि का किराया वसूली हेतु शेष	19.71
11	दिनांक 31.3.14 को अग्रिम राशि का समायोजन शेष	28.41
14	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये अनियमित व्यय	12.95
15	यात्री वाहन को नियमों की अनदेखी कर माल वाहक वाहन बनाकर अपव्यय	2.02
16	दशहरा मेले की कुल प्राप्ति का शेयर मेला समिति से वसूली न करना	60.53
20	दिनांक 31.3.2014 को परिषद का दायित्व शेष	1055.48

9 नगर परिषद नाहन, अवधि 4/2013 से 3/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रूलाखों में
5(1)	दिनांक 31.3.2015 तक अनुदान की धनराशि व्यय/उपयोग हेतु शेष	293.89
5(2)	अनुदान से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक राशि व्यय करना	242.03
9	गृह व सफाई कर की राशि वसूली हेतु शेष	260.75
10	दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु शेष	43.94
11	व्यापार लाईसेंस शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	0.46
12	अस्थायी अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	0.93
16	मोबाईल टावर शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	2.05
17	भवन निर्माण नक्शा पारित देय शुल्क की कम वसूली करना	2.07
19	नगरपालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि के लिए अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान	136.62
20	अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों/खाली पदों के विरुद्ध पैन्शन व उपदान का अनियमित भुगतान	1.35
21	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना सामान्य भविष्य निधि से अनियमित भुगतान	5.84
23.1	सामान्य भविष्य निधि (CPS) खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज का जमा प्रदान करने के कारण ब्याज राशि का निधि से अधिक भुगतान	3.23
26	गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	2.14
27	अनुबन्धित वाहन चालकों के वेतन का अनियमित व्यय	4.24
29	नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना	426.24
31	सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को avoid	52.12

	करने हेतु निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बाँटने सम्बन्धी अनियमितता	
32	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान	14.11
33	निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दण्ड शुल्क (Penalty) की वसूली न करना	6.08
34	गलत गणना के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	0.63
36	बिना पूर्ण औचित्य व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के उच्च दरों पर क्रियान्वयन करवाने पर सम्भावित वित्तीय हानि	1.19
37	कार्य प्रमात्रा को दो बार मापने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	2.60
40	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं को भण्डार से जारी किए गए लगभग 2601 बोरी सीमेन्ट की प्राप्ति एवं उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख अंकक्षण को प्रस्तुत न करना/दर्शाना	7.02
41	नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट बैगों की विभागीय आपूर्ति की एवज़ में राशि की कम वसूली	1.59
42	नियमानुसार क्रय प्रक्रिया न अपनाकर निर्माण सामग्री का क्रय करना	5.23
43	वाहनों की तय औसत से कम औसत दर्शाने के कारण अनियमित व्यय	0.30

10. नगर परिषद नालागढ़ अवधि 4/12 से 3/14

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रू.लाखों में
59	ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना पर निष्फल व्यय	78.21
25	नगरपालिका निधि से पेंशन एवं उपदान निधि में अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान	39.15
5(1)	अनुदान की धनराशि 31.3.14 को व्यय/उपयोग हेतु शेष	33.84
54(2)	तकनीकी अनुमान से अधिक राशि पर ठेकेदार को कार्य का अनियमित आबंटन करना	33.25
4(2)	रोकड़ बही में प्राप्त ब्याज की राशि का लेखांकन न करना तथा राशि का सावधिक जमा में निवेश की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण ब्याज से होने वाली अतिरिक्त आय की सम्भावित हानि	27.53
9	दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष राशि	23.96
56	निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दण्ड शुल्क की वसूली न करना	9.78
11	अस्थाई अग्रिमों की समायोजन हेतु शेष राशि	5.47
5(2)	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (SJSRY) की अनुदान धन राशि का समय से उपयोग न करने के कारण सम्बन्धित लाभार्थियों को लाभों से वंचित करना	5.46
58	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में Deviation राशि का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान	4.53
28	नगर परिषद निधि से पेंशन राशि का अनियमित भुगतान	2.90
10	प्लाटों के देय किराए की वसूली हेतु शेष राशि	2.11
15	मोबाईल टॉवर शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि	0.60
54(5)	अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को अनियमित रूप से अधिक भुगतान	0.52
44(1)	कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा Quoted व negotiated	0.49

	दरों में संशयपूर्ण बदलाव करने के कारण अधिक भुगतान	
54(1)	बिक्री कर व आयकर के रूप में सम्बन्धित विभाग को ठेकेदार के निर्माण कार्यों के बिलों से काटी गई राशि से अधिक जमा/भुगतान	0.48
57	निर्माण कार्यों में प्रयोग किए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर रायल्टी की वसूली न करना	0.43
30	मकान किराया भत्ता गलत दर से आहरण करने के कारण अधिक भुगतान	0.34
64	वस्तुओं का भण्डार (Stock) में कम गणना करने के कारण सम्भावित दुर्विनियोजन	0.34
16	दुकानों/प्लॉट के किरायेदारों से देय विलम्ब शुल्क की कम वसूली करना	0.32
6(1)	बैंक द्वारा सावधिक जमाओं पर प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर काटे गए आयकर को वापिस प्राप्त न करना	0.51
45(2)	गलत गणना के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान	0.30
60	कालातीत हो चुकी प्रतिभूति जमा राशियों का वापसी भुगतान करना	0.19

11. नगर परिषद परवाणू अवधि 01.4.2013 से 31.03.2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹लाखों में
5 (1)	अनुदान की धनराशि व्यय/उपयोग हेतु शेष	46.40
5 (2)	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (SJSRY) की अनुदान धनराशि का समय से उपयोग न करना	1.17
5 (3)	राजीव आवास योजना (RAY) की अनुदान धनराशि का समय से उपयोग न करने के कारण सम्बन्धित लाभार्थियों को लाभों से वंचित करना	1.06
5 (4)	UIDSSMT (Water Supply Scheme for Parwanoo town) हेतु प्राप्त अनुदान धनराशि को समय से उपयोग करने की अपेक्षा लगभग एक वर्ष तक बैंक खाते में जमा रखने के कारण निधि को अवरुद्ध करना	327.40
6	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	0.56
8	गृहकर, सफाई व व्यापार कर की वसूली शेष	76.07
8 (1)	गृहकर की दर में वृद्धि न करने कारण वित्तीय हानि	248.73
9	दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष	3.02
10	सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) से किराये की राशि की वसूली न करना	28.49
13	मोबाईल टॉवर शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	1.30
16	सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर अनियमित भुगतान	1.34
19	लोक सम्पर्क विभाग, हि0प्र0 के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	1.14
21	निर्माण कार्यों को तीन/पाँच लाख से कम भागों में बाँटने के कारण राशि का अनियमित भुगतान करना	94.13
24	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य की Deviation का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान	2.58

12. परिषद ठियोग, अवधि 04/2013 से 03/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹लाखों में
6	दिनांक 31.3.2015 तक प्रतिभूति की शेष राशि को नगर परिषद निधि/ लेखों में न दर्शाना	23.24

7	दिनांक 31-3-2015 तक अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	121.91
8	डी0ए0वी0 स्कूल के पास कार पार्किंग व सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य पर निष्फल व्यय	39.48
9	4 th State Finance Commission के अनुदान की राशि का पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फण्ड के लिए अनियमित स्थानान्तरण करना	5.50
10	पर्यटन विभाग से प्राप्त अनुदान से अनियमित व्यय	13.58
11	स्थापना पर अनियमित व्यय	13.90
12	दिनांक 31-03-15 तक गृह कर की वसूली शेष	83.74
13	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृह कर की दरों में वृद्धि न करने के कारण परिषद को वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान वित्तीय हानि	6.71
15	दिनांक 31-3-15 तक दुकानदारों से किराये राशि की वसूली शेष	28.68
16	व्यवसायिक परिसर नजदीक बस स्टैंड की दुकानों की लीज राशि की वसूली न करना	10.53
17	नगर परिषद द्वारा (Compound Fees) की राशि की वसूली न करना	0.73
18	पट्टे पर दी भूमि की पट्टा राशि की वसूली न करना	0.41
19	मोबाइल कम्पनियों से टावरों की नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करना	0.23
21	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाने के कारण राशि का अनियमित भुगतान	0.94

13. नगर परिषद नगरोटा बगवां अवधि 4/12 से 3/14

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रूलाखों में
5	दिनांक 31.3.2014 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	28.09
5 (क)	अनुदान का अन्य कार्यों पर अनियमित व्यय	15.39
7 (क)	दिनांक 31.3.14 को गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	10.55
7 (ख)	निधारित दरों से गृहकर की माँग न करने के फलस्वरूप कारण परिषद को वित्तीय हानि	6.64
8	दुकानों, स्टालों/खोखों इत्यादि का किराया वसूली न करना	18.63
14	बिजली बिलों का समयबद्ध भुगतान न करने के फलस्वरूप अधिभार का अनियमित भुगतान	12.90
16 (क)	प्रतिस्थापित मदों का उच्च दरों पर भुगतान के कारण संविदाकारों को अधिक/अनुचित भुगतान	0.84
16 (ख)	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	0.11

14. नगर पंचायत तलाई, अवधि 04/2013 से 03/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	रू लाखों में
6.1	दिनांक 31.3.15 तक अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	392.69
5.1	निवेशित राशि की परिपक्वता पर कम ब्याज प्राप्त करना	1.25
5.2	अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि बारे	0.71
9	गृहकर राशि की वसूली न करना	26.27
8	स्थापना पर अनाधिकृत व्यय	31.39
10	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली बारे	0.64
11	रैहन बसेरा की आय की वसूली न करना	0.15
17	भवन निर्माण माप चित्र शुल्क की वसूली न करने बारे	0.07
22	मोबाइल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	0.06

15. नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर अवधि 04/2013 से 03/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
6(ग)	दिनांक 31/3/15 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	193.78
7	मोबाईल कम्पनियों से स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली योग्य राशि शेष	1.11
8	दुकानों के किराये की वसूली शेष	3.04
9	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	52.67
10	कच्चे खोखों के किराये की वसूली शेष	0.76
13	अनुदान राशि से वेतन व मजदूरी का अनियमित भुगतान	45.08
14	रेहन वसेरा भवन के अधूरे निर्माण के कारण राशि का अवरोधन	9.52
15(क)	संविदाकार को अधिक भुगतान	0.14

16. नगर पंचायत भोटा, अवधि 4/2013 से 3/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
5(i)	दिनांक 31.3.2015 को अनुदान की राशि का उपयोग न करना	25.04
6	दिनांक 31.3.2015 तक गृहकर की वसूली शेष	11.00
7	दुकानों/स्टालों के किराये व रेहडी शुल्क की बकाया राशि की वसूली न करना	3.30
7(क)	स्टालों/बूथों को किरायेदारों द्वारा खाली करने/छोड़ने पर किराये की बकाया राशि की वसूली न करने बारे	0.85
7(ख)	दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण व नियमानुसार किराया बढ़ौतरी न करने से पंचायत को वित्तीय हानि	0.15
8	आय की राशि को नगर पंचायत द्वारा विलम्ब से बैंक में जमा कराने बारे	0.15
9	लेबर सैस की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना	0.26
9.1	बिक्री कर (Sale Tax) की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	0.17
12	नगर पंचायत भोटा कार्यालय की पहली मंजिल को पुलिस विभाग को देने के फलस्वरूप उन द्वारा प्रयोग की गई बिजली के बिलों का अनियमित भुगतान करना	0.23
13	संविदाकारों को राशि का अधिक भुगतान करना	0.13

17. नगर पंचायत भुन्तर, अवधि 4/2011 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
6.2	दिनांक 31.3.2015 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	157.17
7	गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि	18.08
8	दुकानों के किराये की वसूली योग्य शेष राशि	79.17
9	तहबजारी शुल्क की वसूली योग्य शेष राशि	18.58
10	सफाई शुल्क की वसूली योग्य शेष	2.37
12 व 12.1	पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान	4.77
14	आयकर व विक्रय कर की कटौती को सरकारी कोष में जमा न करने बारे	1.27
16	Through rate tender में स्टील की wastage दर्शाकर संविदाकार को अधिक भुगतान	0.24
17	औपचारिकताएँ पूर्ण न कर अनियमित खरीद करना	2.37
18	मेला ग्राऊण्ड की लेबलिंग पर अनियमित व्यय करना	3.04

21	तहबाजारी शुल्क एकत्रीकरण वार्षिक ठेके की राशि की वसूली न करना	5.30
22	दिनांक 31.3.2015 तक अस्थाई अग्रिम समायोजन शेष	7.50

18. नगर पंचायत चौपाल, जिला अवधि 01.04.13 से 31.3.15

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
6 (क)	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	74.80
8	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	28.20
10 (क)	किराये की राशि वसूली हेतु शेष	18.38
9	गृहकर में वृद्धि/संशोधन न करने के कारण हानि	8.40
10 (ग)	दुकान के कम किराया निर्धारण पर हानि	2.31
7	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	1.89
11	बिजली उपकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	1.21
4 (ङ)	नगर पंचायत की आय को बैंक खाते में जमा न करना	1.15
10 (ख)	दुकानों को विलम्ब से आबंटन पर वित्तीय हानि	0.84
17	बिजली के बिलों की राशि का अनियमित भुगतान	0.39
12	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	0.39

19. नगर पंचायत कोटखाई अवधि 4/12 से 3/14

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
5 (1)	सावधि योजना में निवेश राशि पर ब्याज की कम प्राप्ति	0.22
5 (2)	सावधि योजना में निवेश राशि पर TDS की अनाधिकृत कटौती	0.76
8	दिनांक 31.3.14 तक अनुदान की अनुपयुक्त राशि	28.12
8 (1)	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से प्राप्त अनुदान को खर्च न करना	20.00
9	31.3.14 तक किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	36.66
13	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.40
15	मजदूरी का अनियमित भुगतान	4.26
16	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को अधिक भुगतान	0.12
17	निर्माण कार्यों के भुगतान में से बिक्रीकर तथा श्रमकर को सम्बन्धित विभागों में जमा न करना	0.72

20. नगर पंचायत बन्जार, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
5 (क)	अनुदान की राशि का उपयोग न करना।	23.83
6	दिनांक 31.3.14 तक गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना	7.80
8	दुकानों के किराए की बकाया राशि की वसूली न करना।	2.72
10	मोबाईल टावरों की नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.25
11	मकान किराया भत्ते की राशि का अधिक भुगतान	0.11
13	निर्माण कार्य बिलों में गलत गणना कर संविदाकार को अधिक भुगतान	0.37

21. नगर पंचायत मैहतपुर, अवधि 4/2013 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
5.1	दिनांक 31.3.2015 तक अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	114.13
5.2	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	282.83
5.3	स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय करना	112.84

6.1	दिनांक 31.3.2015 तक गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	244.93
6.2	दुकानों/स्टालों के किराए की राशि दिनांक 31.3.2015 तक वसूली हेतु शेष	7.17
6.3	चुल्हा टैक्स की राशि की वसूली न करना	1.31
6.4	मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली शेष	0.97
7.4	श्रीमती मोहिन्द्र कौर सफाई कर्मचारी (सेवा निवृत्त) को अर्जित अवकाश राशि का अधिक भुगतान	0.03
8	संविदाकारों से लेबर सैस की वसूली न करना	0.42
8.1	निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की कम वसूली करना	1.13
8.2(1)	संविदाकार से बिक्री कर, आयकर तथा लेबर सैस की कटौती न करना	0.41
8.2(4)	संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	3.38
8.3(i)	संविदाकार को प्रतिभूति राशि का अनियमित भुगतान	3.67
8.3(iii)	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य करवाना	45.87
8.4(i)	संविदाकार को राशि का अधिक भुगतान	0.69
8.6(i)	केन्द्रीय सरकार से राशि प्राप्त न करना	23.31
8.6(ii)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य करना	53.51
9	अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	0.30

22. नगर पंचायत रिवाल्सर अवधि 04/2013 से 03/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
5(क)	दिनांक 31.03.2015 तक अनुदान की अनुपयुक्त राशि	253.25
6(ख)	दिनांक 31.03.2015 तक गृह कर की वसूली योग्य शेष राशि	35.58
7	दिनांक 31.03.2015 तक दुकानों के किराए के रूप में वसूली योग्य शेष राशि	0.96
9	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	10.69
16	निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस की कटौती न करना	0.32
17	ट्रेक्टर की खरीद पर निरर्थक व्यय	2.45

23. हिमुडा निर्माण मण्डल-II अवधि 04/2013 से 3/2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	₹ लाखों में
4 (क)	दिनांक 31.03.2014 को स्टॉफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	0.67
4 (ख)	दिनांक 31.03.2014 को विविध अग्रिम लेखा शीर्षक के अन्तर्गत समायोजन हेतु शेष	15.33
6	Cash Settlement Account (CSSA) एवं Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेष	7.57
8	संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में डेबिट रूप में पाया जाना	3.77
11	संविदाकार के 10CC Claim के बिल से विभिन्न मदों की कटौती न किए जाने के परिणामस्वरूप संविदाकार को अनुचित भुगतान	9.19
12 (2)	अनुबन्ध की मद संख्या 4 का अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को अनियमित भुगतान	3.25
13 (1) 14 (2)	कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार रॉयल्टी की वसूली न किया जाने बारे	0.17 व 0.39

15 (1)	संविदाकार के बिल से टौर स्टील की कम वसूली करके अनुचित लाभ दिये जाने बारे	1.64
15 (2)	अनुबन्ध की अतिरिक्त मद E-1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of Soil" के सम्बन्ध में संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारे	0.35
16	संविदाकार के 10cc Claim के बिल से विभिन्न मदों की कटौती न करके संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारे	0.57
17 (1)	संविदाकार के बिल से टौर स्टील की कम वसूली करके अनुचित लाभ दिये जाने बारे	20.71
17 (2)	संविदाकार के भुगतान बिलों से 2.5% की दर से Rebate की कटौती न किए जाने के कारण अनुचित लाभ दिये जाने बारे	3.88
17 (3)	अनुबन्ध की मद संख्या 1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of Soil" के सम्बन्ध में संविदाकार को अनुचित भुगतान	1.98
17 (4)	अनुबन्ध की मद संख्या 1 "कटिंग इन अर्थ वर्क" के कार्य में से पत्थरों की प्राप्ति शून्य दर्शा कर निर्माण मण्डल को वित्तीय हानि	1.82

24. हिमुडा मण्डल धर्मशाला अवधि 4/2013 से 3/2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	रूलाखों में
5 (क)	दिनांक 31.3.2014 को विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	8.66
6	विभिन्न निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय	446.40
7 (क)	रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	201.49
8 (क)	विभिन्न आवासीय कलौनियों से जल प्रभार के रूप में वसूली शेष	8.70
9	पी0टी0सी0 डरोह में निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.68
11	निर्माण कार्य "C/O HRTC work shop in Tadoli, Chamba में संविदाकार को अधिक भुगतान	4.35
12	निर्माण कार्य "C/O ITI Building at Bangana में संविदाकार को अनियमित भुगतान	2.98
14	निर्माण कार्य "C/O High School under RMSA में संविदाकार को अनुचित भुगतान	1.61
21	धरोहर राशि को नियमों के अनुसार मण्डल की आय में लेखाकित न करना	67.82

25. हिमुडा निर्माण मण्डल परवाणू अवधि 4/2013 से 3/2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का सार	रूलाखों में
4 (क)	विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	122.70
4 (ख)	लोक निर्माण विभाग से रख-रखाव प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	65.30
5 (क)	दिनांक 31.03.14 को जल प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	34.71
6	जल आपूर्ति योजना के संचालन में आय की तुलना में अधिक व्यय	33.67
7	दिनांक 31.03.14 को अग्रिमों की वसूली योग्य शेष राशि	93.37
9	आवास बस्ती जरजा जिला सिरमौर के निर्माण कार्य में संविदाकार से वसूली न करना	43.83
10	संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान	12.73

11	संविदाकार से सर्विस टैक्स की वसूली न करना	10.45
12	संविदाकार को विभिन्न निर्माण कार्य में अनुचित/अधिक भुगतान	2.69
13	मधाला में 96 ई0 डब्ल्यू एस प्लैट के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान	.80
14	गलत वेतन निर्धारण करने के फलस्वरूप विभिन्न कर्मचारियों को अनियमित/अधिक भुगतान	1.43
15	अंशदायी भविष्य निधि में अनियमित भुगतान	1.06

26. हिमुडा निर्माण मण्डल-I, शिमला अवधि 04/2013 से 03/2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	रूलाखों में
4 (क)	स्टाफ अग्रिम का समायोजन न करना	6.52
4(ख)(1)	विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	98.50
4 (ख)(2)	विविध अग्रिम राशि सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री जे0के0 कपूर (ए0ई0) से वसूली हेतु शेष	1.10
4 (ग)	जल प्रभार की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	5.18
4 (घ)	विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	25.85
6	भण्डार मदों को दीर्घकाल से प्रयोग में न लाना	10.97
12 (क)	वेतन व भत्तों का कर्मचारियों को स्वीकृत पदों के बिना अनियमित भुगतान	75.69
25 (क)	नियमों की अनदेखी करके ठेकेदार को Secured Advance का अनुचित भुगतान करने बारे	8.43
26 (ख)	ठेकेदार को अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई की एवज में अनियमित भुगतान	14.74
26 (घ) (i) व 28 (च) (i)	कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार रायल्टी की वसूली न करना	4.81
28 (ङ)	कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गए पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित अनुचित लाभ पहुंचाना	2.44
32 (क)	अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही न करने के कारण सम्भावित रूप से परोक्ष हानि	34.63
36	संविदाकारों/ठेकेदारों की Security की कालातीत हो चुकी राशि को जब्त न किए जाने के कारण निर्माण मण्डल को वित्तीय हानि	19.42

27. हिमुडा विद्युत मण्डल एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, शिमला अवधि 04/13 से 03/14

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	रूलाखों में
4(क)	दिनांक 31.3.2014 को स्टॉफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4.89
4(ख)	विविध अग्रिम का समायोजन न करना	4.09
5	विभिन्न संविदाकारों को दिये गये सुरक्षित अग्रिमों का लम्बी अवधि से वसूली न करने बारे	44.57
6	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से निक्षेप निर्माण कार्यों उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	5062.77
7 (1)	संविदाकार के बिल से अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत अधिरोपित जुर्माना राशि की कटौती बिल से न किया जाना	4.04
7 (2)	संविदाकार के चलत बिल से सुरक्षित अग्रिम की राशि की नियमानुसार कटौती कम करने बारे	1.40

8	वाहनों के ईंधन खपत निर्धारित माप दण्डों से अधिक करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	1.09
---	---	------

28. हिमुडा विद्युत मण्डल धर्मशाला अवधि 4/2013 से 3/2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	रूलाखों में
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	539.06
6	संविदाकारों को दिये गये सुरक्षित अग्रिमों की वसूली न करना	49.66
7	बिजली बोर्ड से डिपॉजिट राशि से कम कार्य निष्पादित करने के परिणामस्वरूप वसूली न करना	14.51
9	विद्युत मण्डल शिमला (हिमुडा) से वसूली योग्य राशि शेष	3.55

29. हिमुडा मण्डल मण्डी अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

पैरा संख्या	आपत्ति का विवरण	रूलाखों में
4	विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	28.66
5	स्टाफ अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	3.53
6	विभिन्न आवास बस्तियों के रख-रखाव प्रभार की वसूली शेष	33.74
7	विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार की वसूली शेष	0.95
8	अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर अपरोक्ष रूप से मण्डल को लाखों की हानि	58.11
9	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन करना	5.41
10	संविदाकारों को बिना औचित्य के सर्विस टैक्स की राशि रिफण्ड करना	8.31
11	स्टोर/स्टॉक की विभिन्न मदों का कई वर्षों से उपयोग न करने के कारण निधि का अवरोधन	1.63
12	विभिन्न निर्माण कार्यों के ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए सीमेन्ट कंकरीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान	0.55
13	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (राजगढ़) (विज्ञान भवन के निर्माण) कार्य पर अधिक भुगतान	0.22
16	यात्रा भत्ते दावों का अनियमित भुगतान	0.23
22	विश्राम गृह की आय की अपेक्षा अत्याधिक व्यय	1.25

30. कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सार	रू लाखों में
6	अग्रिम का समायोजन न करना	11.47
7	दुकानों के किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	36.43
10	लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि होने के बारे में	0.81
13	नाका चौकी शोधी, नेरीपुल कुडडु, तथा वानीपुल में गैर लाईसैंस धारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि का होना	0.91
15	कम्पाऊंड शुल्क की वसूली करते हुए रसीद बुकों में वस्तु का नाम, प्रमात्रा व मूल्य का न दर्शाया जाना	5.20
20	आय के अनाद्रित चैकों की राशि की वसूली न करना	1.62
21(क)	रोकड वही में आय की प्रविष्टियाँ न करना	2.62
22	बैंक खाता संख्या 12087 व खाता संख्या 558 में क्रेडिट की गई	6.40

	चैकों/नकदी की गई राशि की पुष्टि न होना	
26	बैंक द्वारा सावधि जमा पर देय व्याज से कम व्याज देने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को हानि का होना	1.50
28	सावधि जमा योजना में निवेशित की गई राशि का सावधि जमा रजिस्टर में ईन्द्राज न करना	1917.03

31. कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
8	दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	19.50
9	मण्डी शुल्क की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	5.62
11	नाका चौकी बजौरा में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली करना	0.68
13	लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली का शेष पाया जाना	3.64
14	लाहौल पोटेटो सोसायटी से मण्डी शुल्क की वसूली का शेष पाया जाना	1.42
18	आय कर विभाग को आय कर तथा जुर्माना राशि का अनावश्यक भुगतान	69.11
20	डिपोजिट कार्य के विरुद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	101.80

32. कृषि उपज समिति, सोलन , अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
9	आयकर विभाग के नाम राशि का असमायोजित दर्शाया जाना	145.41
10	Market Fees तथा Rent Recovery इत्यादि से सम्बन्धित राशि के Bounced Cheques की न्यायालय के माध्यम से वसूली न करना तथा नियमों की उल्लंघन करने के बावजूद कारोबारियों के पंजीकरण को निरस्त न करना	13.17
11	मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों की देय प्रतिभूति की राशि में अन्तर पाया जाना	2.48
13	दुकानों के किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	35.50
14	टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आंबटित दुकानों से पट्टे की राशि की वसूली हेतु शेष पाया जाना	10.82
15	मण्डी शुल्क की राशि की कम वसूली करना	4.95
18	मण्डी समिति सोलन में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 15 कर्मचारियों को राशि का अनुचित भुगतान करना	3.71
23	श्री सुशील कुमार (लिपिक) को अनियमित भुगतान करना	0.44

33. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला, अवधि 21.06.08 से 31.03.14

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
8	सोसाईटी द्वारा अनियमित रूप से ऋण की राशि का भुगतान करना	32.70
9	जनरेटर सैट की खरीद पर अनियमित व्यय करना	2.43
10	विभिन्न प्रकार से फार्मों की छपवाई पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	6.18
11	ई-गवर्नेन्स निधि से अनियमित व्यय करना	1.67
12	सोसाईटी द्वारा खरीद कुटेशनों के आधार पर न करने बारे	2.03

34. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) बैजनाथ, अवधि 01.09.2005 से 31.03.2014

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
4	बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.23
7	वाहन की मुरम्मत/पैट्रोल हेतु अनियमित भुगतान करना	0.58
8	ई-गवर्नेन्स निधि से विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम के रूप में अनियमित भुगतान करना	0.28
12	कार्यालय के बिजली एवं टेलीफोन बिलों की राशि का भुगतान अनियमित रूप से ई-गवर्नेन्स से करना	0.82

35. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार, अवधि 11/07 से 3/14

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
5	राजकीय कोष में राशि का कम जमा करवाया जाना	0.60
8	ई-गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा खरीदे गए प्रिन्टर की स्टॉक प्रविष्टि न करना	0.23
9	ई-गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा व्यय की गई राशि के वाउचरों का अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना	1.00

36. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ज्वाली अवधि 9/2005 से 3/2014

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
6	केन्द्रीय ईकाई में राशि का कम जमा करवाने बारे	4.86
7	हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु सेवा शुल्क की वसूली न करने बारे	8.53
9	सोसाईटी द्वारा बिजली एवं टेलीफोन बिलों की राशि का अनियमित व्यय करने बारे	0.64
10	ई-गवर्नेन्स निधि से बिजली के बिलों अधिक भुगतान करने बारे	0.34
12	बिना कुटेशन आमन्त्रित किए खरीद करने बारे	1.38
14	Air Conditioners तथा वाटर कूलर की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.69
17	खुले बाजार से स्टेशनरी की खरीद करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.59

37. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) कण्डाघाट अवधि 29.03.2007 से 03/2014

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
6	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग की राशि को परिवहन विभाग के खाते में कम जमा करना	0.69
7	विहित औपचारिकताओं के बिना व्यय करना	1.67
8	बिना अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए क्रय निजी फर्मों से करना तथा सम्बन्धित कार्य भी निजी फर्मों से करवाना	1.33
9	बिना अनापति पत्र प्राप्त किए स्टेशनरी का क्रय निजी फर्मों से करना तथा प्रिंटिंग का कार्य भी निजी फर्मों से करवाना	0.78
10	तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अनियमित रूप में मोबाईल प्रभार की प्रतिपूर्ति करना	0.18

38. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी मनाली, अवधि 8/07 से 3/14

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
7	राजकीय कोष में राशि का जमा न करवाना	4.96

39. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर०एल०ए०) नाहन, अंकेक्षण अवधि 04/2006 से 3/2014

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
6	सारथी एवं वाहन के रूप में प्राप्त राशि के 25 प्रतिशत भाग की राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाना	0.14
9	दूरभाष के बिलों की अदायगी हेतु अनियमित भुगतान करना	0.14
10	Air Conditioner की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.24
11	फोटोस्टेट मशीन की मरम्मत पर अनियमित व्यय करना	0.10
14	औपचारिकताएं पूर्ण किये बगैर ही DMP Printer की खरीद करना	0.12

40. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर०एल०ए०) पांवटा साहिब, अवधि 04/2007 से 03/2014

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
6	सेवा शुल्क (User Charges) के रूप में प्राप्त राशि में से 25% भाग की राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाना	7.09
7	EPBX System की Installation पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.62
9	बिजली के बिलों के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	3.68
12	Air Conditioner इत्यादि की आपूर्ति तथा Installation हेतु राशि का अनियमित भुगतान करना	0.24

41. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर०एल०ए०) पधर, अवधि 3.1.08 से 31.03.2014

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
8	बिना निविदाएं आमन्त्रित किए कम्प्यूटर की स्टेशनरी की खरीद करना	0.25

42. ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर०एल०ए०) पालमपुर, अवधि 09/2005 से 03/2014

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
4 (क)	बचत खातों से सम्बन्धित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	2.10
4 (ख)	सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाया जाना	0.10
4 (ग)	सोसाईटी द्वारा जारी चैकों को रोकड़ बही में न लिया जाना	1.68
4 (घ)	आय की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.19
9	ई-गवर्नेन्स से विभिन्न प्रकार के किए गए भुगतान बिलों में पाई गई अनियमितताएं	1.90
10	ई० गवर्नेन्स सोसाईटी से क्रय किए गए विभिन्न सामान से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताएं	3.11
11	ई० गवर्नेन्स से कार्यालय के टेलीफोन एवं बिजली बिलों की राशि का भुगतान अनियमित रूप से करना	0.53

43. ई०-गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ अवधि 20.4.2004 से 31.3.2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
4(ख)	ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ, जिला किन्नौर द्वारा सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि को अन्तःशेष में व्यय के रूप में दर्शाकर रोकड़ बही से कम किए जाने बारे	15.00
5	विशेष उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्राप्त राशि का दिनांक 31.3.2015 तक	10.00

	उपयोग न किया जाना।	
6	ई-गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ की निधि से जिला नाजिर को दिए गए ऋण की वसूली न करने बारे।	2.58
7	हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के विरुद्ध विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल फोन के बिलों के रूप में अनियमित भुगतान करने बारे।	0.79
11	ई-गवर्नेंस निधि से NIELIT (Formerly DOEACC) के IT Facilator श्री विद्या पाल को अवधि 10/2012 से 15.9.2013 के वेतन का अनियमित भुगतान करने बारे	1.26
12	ई-गवर्नेंस निधि से व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर तथा व्यय वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकक्षण में उपलब्ध न करवाने बारे।	4.10
14	ई-गवर्नेंस सोसायटी (केन्द्रीय ईकाई) रिकांगपिओ द्वारा निधि से अनाधिकृत गतिविधियों पर व्यय करने बारे	1.49
15	निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना खरीद खुले बाजार से करके भुगतान करना	2.52
16	विभिन्न मदों की खरीद करने के उपरान्त इनकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ किए बिना ही उपयोग किए जाने बारे	2.67

44. ई-गवर्नेंस सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर, अवधि 29.11.07 से 31.3.15

पैरा सं0	अनियमिताओं का सार	₹ लाखों में
7	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25% भाग के रूप में राशि को परिवहन विभाग के खाते में जमा न करवाए जाने बारे	1.02
9	विभिन्न मदों की खरीद करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्ट्रों में प्रविष्टि किए बिना ही इनका उपयोग किये जाने बारे	0.82
10	निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही खुले बाजार से खरीद करना	0.53

45. ई-गवर्नेंस सोसाईटी (कल्या) रिकांगपियो, अवधि 5.5.2005 से 31.3.2015

पैरा संख्या	अनियमितता का विवरण	₹ लाखों में
6	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपभोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग के रूप में निर्धारित राशि को परिवहन विभाग के खाते में जमा न करवाए जाने बारे	0.92
7	सेवा शुल्क की राशि को रोकड़ बही में लेखांकित किए बिना ही सीधे केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजना तथा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई राशि को केन्द्रीय ईकाई अभिलेख से Reconcile न किया जाना	64.18
9	निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना खुले बाजार से खरीद करने पर भुगतान करना	0.12

46. ई-गवर्नेंस सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह, अवधि 1.12.2007 से 31.03.2015

पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
10	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ई-गवर्नेंस निधि से तहसील कार्यालय हेतु व्यय करना तथा तहसील कार्यालय पूह से शेष ₹23001 प्राप्त न करना	0.39
12	निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना खुले बाजार से खरीद करना	0.13

47. ई-गवर्नेंस सोसाईटी उदयपुर जिला लाहौल स्पीति अवधि 2/2006 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
9	राजकीय कोष में राशि कम जमा करवाना	0.29

48. ई-गवर्नेंस सोसाईटी, (आर०एल०ए०) नादौन अवधि 9/2006 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
8	राजकीय कोष में राशि का कम जमा करवाया जाना	4.62
9	मोबाईल चार्जिज के रूप में अनियमित भुगतान करना	0.47

49. ई-गवर्नेंस सोसाईटी (आर०एल०ए०) सरकाघाट, अवधि 1.9.2005 से 31.3.2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
7	भुगतान से सम्बन्धित बिल/उपयोगिता प्रमाण पत्र जाँच हेतु प्रस्तुत न करना	5.00

50. ई-गवर्नेंस सोसाईटी (आर०एल०ए०) सुन्दरनगर, अवधि 1.9.2005 से 31.03.2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
4	उपयोक्ता प्रभार से सम्बन्धित आय के 25% भाग की राशि को परिवहन विभाग खाते में जमा करने का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	2.64
5	विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु ई-गवर्नेंस निधि से अनियमित व्यय करना	1.61
7	प्रिन्टर में कार्ट्रिज की भरवाई व स्टेशनरी पर किए गए व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख का रख-रखाव न करना	0.42
8	निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही प्रिन्टर की खरीद करना	0.23
9	हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना मुद्रण कार्य निजी फर्मों से करवाना	0.60

51. ई-गवर्नेंस सोसाईटी, (आर०एल०ए०) चौपाल अवधि 8/2006 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
6	राजकीय कोष में राशि जमा न करवाना	2.10
7	आय की राशि को देरी से जमा करना	0.62
8	आय से सम्बन्धित अभिलेख/रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.53
9	व्यय से सम्बन्धित वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.42
10	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही अनियमित भुगतान करना	0.33

52. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अवधि 4/2014 से 3/2015

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
5	दिनांक 31.3.15 को अग्रधन की राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.01
8	उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने बारे	8.64
9	एच०आर०टी०सी० से बकाया राशि न वसूलने बारे	15.00
10	निदेशक, तकनीकी शिक्षा को बिना किसी आधार के राशि भेजने बारे	26.35

53. हमीर उत्सव, हमीरपुर, अवधि 4/2013 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
6	स्मारिका में विज्ञापनों के प्रकाशन के एवज में विभिन्न विभागों से वसूली योग्य शेष राशि का पाया जाना	0.80
7	हमीर उत्सव के दौरान आबंटित स्टालों को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/आदेशों के रद्द किए गए दर्शाकर प्राप्त चैकों को बैंक में न भुनाना	0.20

9	क्रय की गई सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करना	1.07
10	हमीर उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु भुगतान की गई दरों को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित न करवाना	0.70

54. शिव रात्रि मेला समिति, बैजनाथ, अवधि 21.03.2010 से 31.03.2015

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
6	मेला समिति द्वारा कुटेशने आमन्त्रित किए बिना ही खरीद करना	2.52
7	मेला समिति निधि से अनियमित रूप से भुगतान करना	0.87
8	मेला समिति द्वारा साऊंड सिस्टम की आपूर्ति के लिए अधिक भुगतान करना	0.32
9	मेला समिति द्वारा अनियमित रूप से ऋण की राशि का भुगतान करना	1.10
10	मेला समिति की स्मारिकाओं में विज्ञापन के प्रकाशन से सम्बन्धित राशि को विभिन्न विभागों से न वसूला जाना	1.00
12	मेला समिति द्वारा खरीदे गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ प्रस्तुत न करना	1.91
13	मेला समिति द्वारा भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना तथा ₹38300 की वास्तविक भुगतान की पावतियाँ/रसीदे प्रस्तुत न करना	2.03

55. मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल जी डमटाल, अवधि 1/2013 से 12/2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
9	प्लाटों/दुकानों एवं स्टोन क्रशरों के किराये के रूप में बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई न करना	29.25
17	निर्माण बिलों से आय-कर व बिक्री कर के रूप में की गई की कटौती को चालान द्वारा जमा न करना	0.18
18	विज्ञापनों पर अनियमित भुगतान करना	0.60
24(ख)	ठेकेदार से दण्ड शुल्क के रूप में राशि को न वसूलना	0.31

56. श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
10	मन्दिर न्यास के परिसर में बने विभिन्न पार्कों को सु-व्यवस्थित करने के लिए खरीदे गए समान से सम्बन्धित अनियमितताएं	2.22
14	बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए खरीद करने बारे	0.67
15	मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को दिए आवासों के बिजली के बिलों का भुगतान मन्दिर निधि से करना	1.55

57. मन्दिर न्यास माता श्री ब्रजेश्वरी देवी जी “कांगड़ा” अवधि 1/2013 से 12/2014

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
7	दुकानों/मकानों/भवनों के किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.83
17	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर दण्ड शुल्क (Penalty) की वसूली न करना	0.48

58. मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, बिलासपुर अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
9	श्री बाबा बालक नाथ न्यास मन्दिर न्यास समूह शाहतलाई द्वारा निवेशित की गई राशियों पर अर्जित ब्याज से काटी गई टी0डी0एस0 की राशि को वापिस प्राप्त न करने बारे	1.74
13	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि को वापिस न करना	0.17

14	मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को मेला भत्ते/त्यौहार भत्ते/मानदेय के रूप में राशि का अनुचित भुगतान करने बारे	2.97
19	मन्दिर न्यास द्वारा "Average Reading" (ऐवरेज रीडिंग) के आधार पर जारी बिजली के बिलों की राशि का अनियमित भुगतान करने बारे	1.04
20	लंगर हेतु एवं अन्य उद्देश्यों हेतु खरीदी गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करना व जारी की गई सामग्री की खपत विवरणियाँ तैयार न करना	1.39

59. माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन, अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	₹लाखों में
12	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नियुक्तियाँ किये जाने बारे	6.72

60. हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला अवधि 4/2014 से 3/2015

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
7	उधार दी गई कैसटों तथा पुस्तकों की वसूली न करना	2.34
8	अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से बिक्री हेतु बकाया पुस्तकों का शेष पाया जाना	15.76
9	पहाड़ी गीतों की कैसटों का बिक्री हेतु स्टॉक में शेष पाया जाना	1.96
10	कम्प्यूटर सेंटर के किराए का अनुचित भुगतान करना	3.58
11	मन्त्रीमण्डल की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मारुति सुजकी K-10 का क्रय किया जाना तथा वाहन की औसत निर्धारित न करना	3.57
12	निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही विभिन्न मदों पर अनियमित भुगतान करवाना	0.21

61. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कांगड़ा स्थित पालमपुर, अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹लाखों में
6	निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2014-15 के अन्त में अनुदान की राशि का शेष पाया जाना	30.984
8	लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई राशि के एवज में रसीदें प्राप्त न करना	65.299

62. राजकीय महाविद्यालय जुखाला, अवधि 4/2011 से 3/2014

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹लाखों में
6	हि०प्र० विश्वविद्यालय के यूथ फ़ैस्टीवल ग्रुप-II (लोक-नृत्य) में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि से अनियमित व्यय करना	0.14
7	समिश्रित निधि से बिजली के बिलों के भुगतान हेतु दिये गये ऋण को वापिस प्राप्त न करने बारे	0.82

63. राजकीय महाविद्यालय भरमौर, अवधि 8/2005 से 3/2015

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹लाखों में
8	कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट निधि की वसूली न करना	0.14
9	महाविद्यालय के खाते में राशि जमा न करना	0.06

64. राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर, अवधि 04/2012 से 3/2015

पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	₹लाखों में
4(ग)	सही वित्तीय प्रबंधन न होने से राशि की हानि	1.00
5	शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014-15 में खेल एवं मिश्रित निधि के रूप में कम वसूली करना	0.92
7	विलम्ब प्रवेश शुल्क की वसूली न करना	0.36

8	कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में कम वसूली करना	0.49
10	बिजली के बिलों का मिश्रित निधि से अनुचित भुगतान	0.59
11	बिना निविदाएं आमन्त्रित किए सामग्री का क्रय करना	0.84
17	कम्प्यूटर निधि से उधार दी गई राशि की वसूली न करना	0.95
18	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	18.13
19	अग्रिम राशियों का समायोजन यथासमय में न करना	0.485

65. वजीर राम सिंह, राजकीय महाविद्यालय देहरी, अवधि 4/2013 से 3/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	रूलाखों में
5(ख)	सावधि जमा पर कम ब्याज क्रेडिट करने बारे	0.63
14	विभिन्न निधियों से अनियमित व्यय करना	0.68
17	मिश्रित निधि से अधिक भुगतान करना	0.52
19	एन0एस0एस0 गतिविधि हेतु जारी ऋण की प्रतिपूर्ति न करना	0.36

66. राजकीय महाविद्यालय संगडाह, अवधि 6/2006 से 3/2015

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	रूलाखों में
9	लाईब्रेरी कालातीत हो चुकी प्रतिभूति राशियों को जब्त करके मिश्रित निधि में जमा न करना	0.42
11	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध 50% किराये की छूट का लाभ प्राप्त न करना	0.04
13	छात्र निधियों से स्वीकृत ऋण की राशि को प्राप्त न करना	0.05
14	लाईब्रेरी सिक्कुरिटी निधि से अनियमित व्यय करना	0.04
16	Accompanists को अधिक राशि का भुगतान	0.03

67. राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला, अवधि 4/11 से 3/14

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	रूलाखों में
10	राजकीय शुल्कों की सम्पूर्ण राशि का राजकीय कोष में जमा न करवाकर राशि का कम जमा करवाना	0.13
12	अग्रधन की राशि का समायोजन न करना	2.88

68. राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मण्डी अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	रूलाखों में
5(क)	बकाया अस्थाई अग्रिम राशि का समायोजन न करना	6.10
8	एन0एस0एस0 हेतु प्रदान ऋण की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.54
9	रूसा परीक्षा हेतु प्रदान ऋण की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.15

69. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला-171005 अवधि 2011-2012

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	रूलाखों में
3.1.4	यू0जी0सी0 द्वारा जारी सहायता अनुदान का सम्भावित दुरुपयोग	115.82
7	परिवहन सुविधाओं से सम्बन्धित हानि	144.76
8	छात्रावास सुविधाओं से सम्बन्धित हानि	282.26
16	ICDEOL की छात्र निधियों का विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में अनियमित हस्तान्तरण	1432.87
20	भत्तों के रूप में 14 कर्मचारियों(कुक्) को अधिक भुगतान	5.00
33	विभिन्न विद्यार्थियों से शुल्क कम वसूली करने बारे	1.51

70. चौ० सरवण कुमार हि०प्र० कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जिला कांगडा, अवधि 2013–2014

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹लाखों में
4	अंकेक्षण अवधि के दौरान कटौती एवं वसूली गई राशि	24.89
5	अन्तर विभागीय लम्बित वसूलियां	16.49
6	अस्थाई आकस्मिक एवं डिपोजिट कार्य हेतु अग्रिमों का समायोजन न करना	3883.00
14	टोनर/कार्टिजिज की अनावश्यक खरीद बारे	2.50
20	एच०पी०एस०सी०एस०सी० से सीमेन्ट की खरीद हेतु दिए गए अग्रिम से शेष राशि की वसूली करने बारे	2.83

71. डा० वाई० एस० परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन अवधि 2013–2014.

पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹लाखों में
4	दिनांक 31.03.2014 तक अग्रिम राशियों का समायोजन न करना (आंतरिक निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों को छोड़कर)	40.38
6	पैन्शन कोरपस फण्ड का अकुशल प्रबन्धन (दिनांक 31.03.2014 को अत्यल्प शेष)	3.83
6.2	राज्य द्वारा संचालित स्कीम से ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान करना	322.47
17	प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति से अधिक भुगतान	1.04
30	बिना बजट प्रावधानों के अनियमित भुगतान	139.55
39(1)	सावधि जमा में कम ब्याज प्राप्ति के कारण हानि	1.61

वैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं / निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाएं
1	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला अधिनियम 1970 की धारा 29 {1} के अधीन
2	चौ० सरवन कुमार कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विधान (Statutes) के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डा० यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान (Statutes) की धारा 13.2 के अधीन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 2005 की धारा 48{2} के अधीन
6	विपणन समितियां	नियन्त्रक एवं महालेखाकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 1971 के धारा 100{3} के अधीन बनाए गए संशोधित नियम के अधीन।
7{ए}	राजकीय शिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}	हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता, नियम 136 {बी}2 के अधीन
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे	पत्र संख्या फिन-2-सी{ए}-55-6684 दिनांक 9.9.96 के अधीन
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23{2}सी {!!} अधिसूचना संख्या भाषा-ए{डी}-3/85-2 दिनांक 17-1-1989 एफ/बी{पी}-173}
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004{ 2004 के अधिनियम संख्या -9} की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच-एसजी-4{डी}1/92-11 दिनांक 13-9-2004 के अधीन
10	नगर निगम शिमला	नगर नियम अधिनियम 1994 के संशोधित अधिनियम 2007 की सं० 19 की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन{एल०ए०}खण्ड-4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें	नगर नियम अधिनियम 1994 की उप धारा 1 व सैक्शन 255 की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन{एल०ए०}खण्ड-4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन

12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान	अधिसूचना सं0 एसटीवी[आईटी]एफ[5]—5/85 दिनांक 16.10.1986 के नियम 7 के अधीन
13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 20 के अधीन
14	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम 1996 विनियम 8[5] के अधीन
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2002 के सेक्शन 14[2] के अन्तर्गत ।
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5[3] संख्या फिश—एफ—[5]—1 /82—खण्ड—1 दिनांक 29—3—86 द्वारा अधिसूचित
17	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 होम्योपैथी प्रैक्टीशनर नियम 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
18	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए[9] —2/84, दिनांक 10—12—1984 के अधीन
19	मुख्यमंत्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निर्देश संख्या 8 के अधीन
20	मुख्यमंत्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रशासन विभाग—ई अनुभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या —जीएडी—ई[सी]8/99 दिनांक 2—11—99
21	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैंटीन	पत्र संख्या: पीईआर(एसए—आई)एफ(6)—1/84, दिनांक 8—5—1998, 18—3—88, 16—10—99
22	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा—सी[13]—2/92—लूज, दिनांक 11—5—99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी के द्वारा
23	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या —ए एच वाई —ए[5]5/86—दिनांक 3—1—94 द्वारा
24	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड	पत्र संख्या: एच एवं एफ.डब्ल्यू[सी]{1}—21/76 दिनांक 22—6—1977
25	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झण्डा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना संख्या 11—58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19—10—1977 के नियम 9 के अधीन
26	राज्य सैनिक बोर्ड विशेष निधि आर. आर. सैनिक विश्राम निधि	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निदेश संख्या 9 के अधीन
27	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि, जिला खेल, संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि	पत्र संख्या: फिन सी 15—25 / 77 (डब्ल्यू एण्ड एम) दिनांक 29—12—1978

28	ई-गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी-एफ{1}2/2000-ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत
29	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4-31/83-वाईएसएस-4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
30	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्या:जीएडी-3-सी{4}13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
31	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला	हिमकॉप की गवर्निंग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निदेशक, पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03.2011 के अन्तर्गत

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. मुख्यालय :-

क्रम सं०	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाष सख्या
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177-2620757
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक	0177-2620046
3	श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक,	0177-2620881
4	श्री सुनील कुमार आंगरा, उप निदेशक	0177-2620881
5	श्री ज्ञान चन्द शर्मा, सहायक निदेशक	0177-2620046
6	श्री अनिल कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी	0177-2620046
7	श्री श्रवण कुमार, अनुभाग अधिकारी	0177-2620881

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाष सं०
1	श्री बलदेव राज शर्मा, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ० सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	01894-230354
2	श्री बसन्त सिंह कंवर, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० विश्वविद्यालय	0177-2830892
3	श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	01892-229333
4	श्री सतपाल सिंह, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा०वाई०एस०परमार औ० एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	01792-252171
5	श्री सीता राम शर्मा, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० विपणन बोर्ड खलीनी,शिमला-2	0177-2621316
6	श्री हरदेव सिंह शांडिल, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला-12.	0177-2841167
7	श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	01792-230459
8	श्री मोहिन्द्र कुमार , अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी .	01907-265592
9	श्रीमति इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	01902-222208

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला -171009

क सं	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे	संशोधित वेतनमान
1.	अतिरिक्त निदेशक	1	8400	15600-39100
2.	संयुक्त निदेशक / संयुक्त नियंत्रक	2	7800	15600-39100
3.	उप निदेशक / उप नियंत्रक	7	6600	15600-39100
4.	सहायक निदेशक / सहायक नियंत्रक	9	5400	15600-39100
5.	अनुभाग अधिकारी	37	5000	10300-34800
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	61	3800	10300-34800
7.	कनिष्ठ सहायक	3	3600	10300-34800
8.	लिपिक	4	1900	10300-34800
9.	चालक	2	2000	5910-20200
10.	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	1900	5910-20200
11.	दफ्तरी	1	1900	5910-20200
12.	चपरासी	6	1300	4900-10680
	कुल	134		